निर्वाचन/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या -1953/33-1-2005-71/2000

प्रेषक,

आर0 के0 शर्मा
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-1

दिनांक : लखनऊ 09 जुलाई, 2010

विषय : उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन हेतु, दो नियमावलियां-उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 एवम् उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994- प्रख्यापित है। उक्त दोनों नियमावलियों के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्याः 5661/33-1-94-281/94 दिनांक 14 नवम्बर 1994, शासनादेश संख्याः 5661/33-1-94-281/94 दिनांक 21 नवम्बर 1994, शासनादेश संख्याः 5769/33-1-94-440/94 दिनांक 21 नवम्बर 1994, शासनादेश संख्याः 1011/33-1-2000-71/2000 दिनांक 10 अप्रैल 2000, शासनादेश संख्याः 1673/33- 1-2005-71/2000 दिनांक 4 मई 2005, शासनादेश संख्याः 1791/33-1-2005-71/2000 टी0सी0 दिनांक 18 मई 2005, शासनादेश संख्याः 1941/33-1-2005-71/2000 दिनांक 6 जून 2005, शासनादेश संख्याः 2032/33-1-2005-71/2000 दिनांक 11 जून 2005, शासनादेश संख्याः 2663/33-3-2005-301/2005 दिनांक 5 सितम्बर 2005, शासनादेश संख्याः 2870/33-3-2005-37जी./2000 दिनांक 14 अक्टूबर 2005 को संशोधित करते हुए त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों (चेयरपरसन) एवम् स्थानों (सदस्यों) के आरक्षण एवम् आवंटन के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

1. जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण सम्बन्धी कार्यवाही नियमान्तर्गत शासन स्तर से यथासमय की जायेगी। जिलावार प्रमुखों तथा खण्डवार प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या क्रमशः शासन तथा निदेशक, पंचायतीराज द्वारा अवधारित कर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक जिले में क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों के

C:\Documents and Settings\nic\My Documents\Election-GO.doc

आरक्षित पदों तथा खण्डवार ग्राम पंचायतों के प्रधानों के आरक्षित पदों और तीनों स्तर की पंचायतों में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

राज्य में आरक्षित किये जाने वाले प्रधान पदों की संगणना और उनका खण्डवार वितरण

2. राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संख्या की संगणना संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 11–क के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार की जायेगी कि यदि शेष, भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ाया जायेगा और यदि शेष, भाजक के आधे से कम हो तो इसे छोड़ दिया जायेगा परन्तु चूँकि पिछड़े वर्गों के लिए प्रधान के पदों का आरक्षण अधिकतम 27 प्रतिशत अनुमन्य है इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने की दशा में आरक्षित किये जाने वाले प्रधान के पदों की संगणना में मात्र भागफल के पूर्णांक को ही संज्ञान में लिया जायेगा और शेष को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संख्या अवधारित हो जायेगी। उपर्युक्तानुसार अवधारित प्रधानों के पदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार इन जातियों/वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए राज्य में प्रधानों के कुल पदों की संख्या के न्यूनतम एक तिहाई पद स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगें। **प्रत्येक आरक्षित वर्ग में स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान के कुल पदो की संगणना करने में यदि भाज्य, भाजक से पूर्णतया विभाजित न हो और कुछ शेष बचता हो तो भागफल में 1 बढ़ जायेगा।**

उदाहरण : उपर्युक्तानुसार प्रदेश की 51,916 ग्राम पंचायतों में से अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों की प्रदेश में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत क्रमशः 0.06 तथा 21.15 के आधार पर प्रदेश में प्रधानों के पदों की कुल संख्या के क्रमशः 0.06 प्रतिशत पद अर्थात 31 पद तथा 21.15 प्रतिशत पद अर्थात् 10,980 पद इन जातियों के लिए और प्रदेश में प्रधानों के पदों की कुल संख्या के अधिकतम् 27.00 प्रतिशत पद अर्थात् 14,017 पद पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे एवम् अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश में प्रधानों के पदों की कुल संख्या के न्यूनतम एक तिहाई पद अर्थात् 17,306 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाएगें।

2.1 **अनुसूचित जनजातियों हेतु इस प्रकार संगणित प्रधानों के पदों की संख्या ग्राम पंचायतों के मध्य वितरित करने के लिये खण्ड (ब्लाक) को इकाई माना जायेगा** और यह वितरण इस प्रकार से किया जायेगा कि खण्ड (ब्लाक) में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात उपर्युक्तानुसार राज्य में संगणित प्रधानों के पदों की संख्या से यथासाध्य वही होगा जो खण्ड (ब्लाक) में अनुसूचित जनजातियों की ग्रामीण जनसंख्या का राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या से है।

उदाहरण : यदि किसी खण्ड (ब्लाक) में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत है तो प्रस्तर–2 के अनुसार राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के लिये संगणित 31 पदों के 10 प्रतिशत पद अर्थात 3 पद उस खण्ड (ब्लाक) के लिये आरक्षित किये जाएंगे।

2.2 किसी खण्ड (ब्लाक) में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जाएगी :–

$$\text{खण्ड (ब्लाक) में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संख्या} = \frac{\text{खण्ड (ब्लाक) में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या} \times \text{खण्ड (ब्लाक) में अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{खण्ड (ब्लाक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या}}$$

परन्तु इस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के संगणित पदों की संख्या यदि खण्ड (ब्लाक) की ग्राम पंचायतों की कुल संख्या के 21.15 प्रतिशत से अधिक आती हैं तो उसे 21.15 प्रतिशत तक सीमित रखा जायेगा। उपर्युक्तानुसार प्रधानों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त भी प्रस्तर–2 में वर्णित प्रक्रियानुसार राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें खण्ड (ब्लाक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्हीं खण्डों (ब्लाक) में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या का खण्ड (ब्लाक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात, राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात, जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 21.15 है, से अधिक हो। पुनर्वितरण हेतु ऐसे खण्डों (ब्लाक) को सर्वप्रथम एक–एक पद का वितरण किया जायेगा तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जबतक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

उदाहरण : सर्वप्रथम प्रत्येक खण्ड (ब्लाक) में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार परन्तु अधिकतम 21.15 प्रतिशत पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी इसके उपरान्त प्रस्तर–2 में वर्णित प्रक्रियानुसार राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए संगणित पदों में आने वाली कमी को ऐसे खण्डों (ब्लाक) जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 21.15 से अधिक है, में 1–1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा। यदि किसी खण्ड (ब्लाक) में प्रधानों के कुल पदों की संख्या 100 तथा अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 25.00 हो तो भी सर्वप्रथम खण्ड (ब्लाक) में प्रधानों के कुल पदों के 21.15 प्रतिशत पद अर्थात 21

पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी और इसके उपरान्त राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए संगणित पदों अर्थात् 10,980 पदों में आने वाली कमी को, इस खण्ड (ब्लाक) सहित ऐसे सभी खण्डों (ब्लाक) जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 21.15 से अधिक है, में 1–1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा।

2.3 इसी प्रकार प्रत्येक खण्ड (ब्लाक) में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जायेगी :–

$$\text{खण्ड (ब्लाक) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संख्या} = \frac{\text{खण्ड (ब्लाक) में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या} \times \text{खण्ड (ब्लाक) में पिछड़े वर्गों की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{खण्ड (ब्लाक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या}}$$

परन्तु इस प्रकार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के संगणित पदों की संख्या यदि खण्ड (ब्लाक) की ग्राम पंचायतों की कुल संख्या के 27 प्रतिशत से अधिक आती है तो उसे 27.00 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जायेगा। उपर्युक्तानुसार प्रधानों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त भी प्रस्तर–2 में वर्णित प्रक्रियानुसार राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें खण्ड (ब्लाक) की ग्रामीण जनसंख्या में पिछड़े वर्ग की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्हीं खण्डों (ब्लाक) में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें पिछड़े वर्गों की ग्रामीण जनसंख्या का खण्ड (ब्लाक) की ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात, राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात, जो वर्ष 2005 के त्वरित सर्वेक्षण के अनुसार 53.12 है, से अधिक हो। पुनर्वितरण हेतु ऐसे खण्डों (ब्लाक) को सर्वप्रथम एक–एक पद का वितरण किया जायेगा तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जबतक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

उदाहरण : सर्वप्रथम प्रत्येक खण्ड (ब्लाक) में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार परन्तु अधिकतम् 27.00 प्रतिशत पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी इसके उपरान्त प्रस्तर–2 में वर्णित प्रक्रियानुसार राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए संगणित पदों में आने वाली कमी को ऐसे खण्डों (ब्लाक) जहाँ पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत 53.12 से अधिक है, में 1–1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा। यदि किसी खण्ड (ब्लाक) में प्रधानों के कुल पदों की संख्या 100 तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत 35.00 हो तो भी सर्वप्रथम खण्ड (ब्लाक) में

प्रधानों के कुल पदों के 27.00 प्रतिशत अर्थात 27 पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी और इसके उपरान्त राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए संगणित पदों अर्थात् 14, 017 पदों में आने वाली कमी को, इस खण्ड (ब्लाक) सहित ऐसे सभी खण्डों (ब्लाक) जहाँ पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत 53.12 से अधिक है, में 1–1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा।

आरक्षित प्रधान पदों का आवंटन व चक्रानुक्रम

3. निम्नलिखित क्रम में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या उस खण्ड (ब्लाक) में भिन्न–भिन्न ग्राम पंचायतों को उनके प्रादेशिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में क्रमशः अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी अर्थात् उस खण्ड (ब्लाक) की ग्राम पंचायतों में से वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में तथा पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि, जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जायेगी, अनुसूचित जातियों को आवंटित ग्राम पंचायत अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जायेगी और पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायत पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी :–

(क) अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियां
(ख) अनुसूचित जनजातियां
(ग) अनुसूचित जातियों की स्त्रियां
(घ) अनुसूचित जातियां
(ङ) पिछड़े वर्गों की स्त्रियां
(च) पिछड़े वर्ग और
(छ) स्त्रियां

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की किसी पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या दो व्यक्ति से कम हो तो ऐसे पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान का पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं किया जायेगा।

उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायत के प्रधानों के पदों के एक तिहाई से अन्यून पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित किये जायेंगे।

उपर्युक्तानुसार स्त्रियों के लिये आवंटित प्रधानों के पदों को सम्मिलित करते हुए खण्ड (ब्लाक) में प्रधानों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून प्रधानों के पदों को स्त्रियों को आवंटित किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जिन ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक

क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है, हो, वे उनको आवंटित की जायेगी और पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि, जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005 में स्त्रियों को आवंटित ग्राम पंचायतें स्त्रियों को आवंटित नहीं की जायेंगी। सामान्य जनसंख्या का अवरोही क्रम बनाने में यदि एक से अधिक ग्राम पंचायतों की सामान्य जनसंख्या समान अथवा शून्य हो तो उस दशा में ऐसी ग्राम पंचायतों को उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर पदों का आवंटन किया जायेगा।

उदाहरण : खण्ड (ब्लाक) के लिये आरक्षित पदों को विभिन्न ग्राम पंचायतों में आवंटन करने हेतु सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों को, ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ग के लिये आरक्षित पदों की संख्या इस प्रस्तर में दी गयी क्रमावली के अनुसार उपर्युक्तानुसार व्यवस्थित ग्राम पंचायतों में आवंटित की जायेगी परन्तु, जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005 में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायत पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2010 में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी। स्त्रियों के लिये आरक्षित पदों का आवंटन करने हेतु ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को घटाते हुए सामान्य जनसंख्या का ग्राम पंचायतवार अवरोही क्रम तैयार किया जायेगा तथा इस प्रकार तैयार किये गये अवरोही क्रम में अधिक सामान्य जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें स्त्रियों को आवंटित की जायेगी परन्तु जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005 में से स्त्रियों को आवंटित ग्राम पंचायतें पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में स्त्रियों को आवंटित नहीं की जायेंगी। विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तर 9.1 में दिये गये उदाहरण संख्या–3 में दर्शायी गयी है।

उपर्युक्तानुसार ही पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन 2010 के आरक्षण में चक्रानुक्रम (रोटेशन) लागू किया जायेगा। इसके फलस्वरूप पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा स्त्रियों) के लिये जिन ग्राम पंचायतों को आरक्षित किया गया था, उन्हें आगामी निर्वाचन में संबंधित आरक्षित वर्ग के लिये आरक्षित नहीं किया जायेगा बल्कि वर्ग के लिये तैयार किये गये अवरोही क्रम में अगले स्टेज पर आने वाली ग्राम पंचायत से आरक्षण शुरू किया जायेगा परन्तु यदि किसी आरक्षित वर्ग के लिये पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में आरक्षित ग्राम पंचायतों और आरक्षण हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित क्रमावली के किसी अन्य आरक्षित वर्ग के लिये आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु पूर्व में ही आरक्षित हो चुकी ग्राम पंचायतों को छोड़ने के पश्चात् आरक्षण करने हेतु अपेक्षित संख्या में ग्राम पंचायतें शेष नहीं बचती हों तो, उस दशा में पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में उस वर्ग के लिये आरक्षित

ग्राम पंचायतों को भी आगामी सामान्य निर्वाचन में पुनः उसी वर्ग के लिये आरक्षित किया जायेगा।

राज्य में आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख पदों की संगणना

4. राज्य स्तर पर क्षेत्र पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या की संगणना उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 7–क के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार की जायेगी कि यदि शेष, भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ाया जायेगा और यदि शेष, भाजक के आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा परन्तु चूँकि पिछड़े वर्गों के लिए प्रमुख के पदों का आरक्षण अधिकतम 27 प्रतिशत अनुमन्य है इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने की दशा में आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख के पदों की संगणना में मात्र भागफल के पूर्णांक को ही संज्ञान मे लिया जायेगा और शेष को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या अवधारित हो जायेगी। उपर्युक्तानुसार अवधारित प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार स्त्रियों के लिये आरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए राज्य में कुल प्रमुखों के पदों की संख्या के न्यूनतम एक तिहाई पद स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे। प्रत्येक आरक्षित वर्ग में स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख के कुल पदों की संगणना करने में यदि भाज्य, भाजक से पूर्णतया विभाजित न हो और कुछ शेष बचता हो तो भागफल में 1 बढ़ जायेगा।

उदाहरण : प्रदेश में कुल 821 क्षेत्र पंचायतों में से अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों की प्रदेश में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत क्रमशः 0.06 तथा 21.15 के आधार पर प्रदेश में प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के क्रमशः 0.06 प्रतिशत पद अर्थात् 1 पद तथा 21.15 प्रतिशत पद अर्थात् 174 पद इन जातियों के लिये और प्रदेश में प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के अधिकतम् 27.00 प्रतिशत पद अर्थात् 221 पद पिछड़े वर्गों के लिये एवम् अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश में प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के न्यूनतम एक तिहाई पद अर्थात् 274 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाएगें।

4.1 इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों हेतु संगणित प्रमुखों के पदों की संख्या क्षेत्र पंचायतों के मध्य वितरित करने के लिये जिले को ईकाई माना जायेगा और यह वितरण इस प्रकार से किया जायेगा कि जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात उपर्युक्तानुसार राज्य में संगणित प्रमुखों के पदों की संख्या से यथासाध्य वही होगा जो जिले में अनुसूचित जनजातियों की ग्रामीण जनसंख्या का राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या से है।

4.2 प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जाएगी :–

जिला में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या = जिला में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या x जिला में अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या / जिला की कुल ग्रामीण जनसंख्या

परन्तु इस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के संगणित पदों की संख्या यदि जिले की कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या के 21.15 प्रतिशत से अधिक आती हैं तो उसे 21.15 प्रतिशत तक सीमित रखा जायेगा। उपर्युक्तानुसार प्रमुखों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त भी प्रस्तर–4 में वर्णित प्रक्रियानुसार राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्ही जिलो में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या का जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात, राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात, जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 21.15 है, से अधिक हो। पुनर्वितरण हेतु ऐसे जिले को सर्वप्रथम एक–एक पद का वितरण किया जायेगा तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जबतक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

उदाहरण : सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार परन्तु अधिकतम् 21.15 प्रतिशत पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी इसके उपरान्त प्रस्तर–4 में वर्णित प्रक्रियानुसार राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए संगणित पदों में आने वाली कमी को ऐसे जिलों जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 21.15 से अधिक है, में 1–1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा। यदि किसी जिले में प्रमुखों के कुल पदों की संख्या 10 तथा अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 23.00 हो तो भी सर्वप्रथम जिले में प्रमुखों के कुल पदों के 21.15 प्रतिशत पद अर्थात 2 पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी और इसके उपरान्त राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए संगणित पदों अर्थात 174 पदों में आने वाली कमी को, इस जिले सहित ऐसे सभी जिलों जहाँ अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 21.15 से अधिक है, में 1–1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा।

4.3 इसीप्रकार प्रत्येक जिले में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जायेगी :–

जिला में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या = जिला में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या x जिला में पिछड़े वर्गों की ग्रामीण जनसंख्या / जिला की कुल ग्रामीण जनसंख्या

परन्तु इस प्रकार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के संगणित पदों की संख्या यदि जिले की कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या के 27.00 प्रतिशत से अधिक आती है तो उसे 27.00 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जायेगा। उपर्युक्तानुसार प्रमुखों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त भी प्रस्तर–4 में वर्णित प्रक्रियानुसार राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या में पिछड़े वर्गों की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्हीं जिलों में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें पिछड़े वर्गों की ग्रामीण जनसंख्या का जिले की ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात, राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात जो वर्ष 2005 के त्वरित सर्वेक्षण के अनुसार 53.12 है, से अधिक हो। पुनर्वितरण हेतु ऐसे जिलों को सर्वप्रथम एक–एक पद का वितरण किया जायेगा तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जबतक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

उदाहरण : सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार परन्तु अधिकतम् 27.00 प्रतिशत पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी इसके उपरान्त प्रस्तर–4 में वर्णित प्रक्रियानुसार राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए संगणित पदों में आने वाली कमी को ऐसे जिलों जहाँ पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत 53.12 से अधिक है, में 1–1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा। यदि किसी जिले में प्रमुखों के कुल पदों की संख्या 10 तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत 35.00 हो तो भी सर्वप्रथम जिले में प्रमुखों के कुल पदों की संख्या का 27.00 प्रतिशत अर्थात 3 पदों की संगणना आरक्षण हेतु की जायेगी और इसके उपरान्त राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए संगणित पदों अर्थात् 221 पदों में आने वाली कमी को, इस जिले सहित ऐसे सभी जिलों जहाँ पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत 53.12 से अधिक है, में 1–1 पद का वितरण कर पूरा किया जायेगा।

आरक्षित प्रमुख पदों का आवंटन व चक्रानुक्रम

5. **प्रस्तर–3 में उल्लिखित क्रमावली के क्रम में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित प्रमुखों के पदों की संख्या उस जिले में भिन्न–भिन्न क्षेत्र पंचायतों को उनके प्रादेशिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में क्रमशः अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी** अर्थात् उस जिले की क्षेत्र पंचायतों में से वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, और पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2010 में तथा पश्चातवर्ती निर्वाधन में आवंटन उपर्युक्त

रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित क्षेत्र पचायत अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नही की जायेगी, अनुसूचित जातियों को आवंटित क्षेत्र पंचायत अनुसूचित जातियों को आवंटित नही की जायेगी और पिछड़े वर्गों को आवंटित क्षेत्र पंचायत पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को आवंटित क्षेत्र पंचायतो की एक तिहाई से अन्यून क्षेत्र पंचायतें यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार स्त्रियों के लिये आवंटित प्रमुखों के पदों को सम्मिलित करते हुए जिले में प्रमुखों के पदो की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून प्रमुखों के पदों को स्त्रियों को आवंटित किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जिन क्षेत्र पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या, जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है, हो, वे उनको आवंटित की जायेगी, और पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2010 में तथा पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार कि जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005 में स्त्रियों को आवंटित क्षेत्र पंचायतें स्त्रियों को आवंटित नहीं की जायेंगी।

उदाहरण : *जिले के लिये आरक्षित पदों को विभिन्न क्षेत्र पंचायतों को आवंटन करने हेतु सर्वप्रथम क्षेत्र पंचायतों को, क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ग के लिये आरक्षित पदों की संख्या प्रस्तर–3 में दी गयी क्रमावली के अनुसार उपर्युक्तानुसार व्यवस्थित क्षेत्र पंचायतों में आवंटित की जायेगी परन्तु, जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005 में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित क्षेत्र पंचायत आगामी निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी। स्त्रियों के लिये आरक्षित पदों का आवंटन करने हेतु क्षेत्र पंचायत की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को घटाते हुए क्षेत्र पंचायतवार सामान्य जनसंख्या का अवरोही क्रम तैयार किया जायेगा तथा इस प्रकार तैयार किये गये अवरोही क्रम में सबसे अधिक सामान्य जनसंख्या वाली क्षेत्र पंचायतें स्त्रियों को आवंटित की जायेगी परन्तु जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005 में स्त्रियों को आवंटित क्षेत्र पंचायतें आगामी निर्वाचन में स्त्रियों को आवंटित नहीं की जायेगी। विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तर 9.1 में दिये गये उदाहरण संख्या 3 में दर्शायी गयी है।*

उपर्युक्तानुसार ही पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन 2010 के आरक्षण में चक्रानुक्रम (रोटेशन) लागू किया जायेगा। इसके फलस्वरूप पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष

2000 तथा वर्ष 2005) में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा स्त्रियों) के लिये जिन क्षेत्र पंचायतों को आरक्षित किया गया था, उन्हें आगामी निर्वाचन में संबंधित आरक्षित वर्ग के लिये आरक्षित नहीं किया जायेगा बल्कि वर्ग के लिए तैयार किये गये अवरोही क्रम में अगले स्टेज पर आने वाली क्षेत्र पंचायत से आरक्षण शुरू किया जायेगा, परन्तु यदि किसी आरक्षित वर्ग के लिये पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में आरक्षित क्षेत्र पंचायतों और आरक्षण हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित क्रमावली के किसी अन्य आरक्षित वर्ग के लिये आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु पूर्व में ही आरक्षित हो चुकी क्षेत्र पंचायतों को छोड़ने के पश्चात् आरक्षण करने हेतु अपेक्षित संख्या में क्षेत्र पंचायतें शेष नहीं बचती हों तो उस दशा में पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में उस वर्ग के लिये आरक्षित क्षेत्र पंचायतों को भी आगामी सामान्य निर्वाचन में पुनः उसी वर्ग के लिये आरक्षित किया जायेगा।

जिला पंचायत के अध्यक्ष के पदों का आरक्षण व आवंटन

6\. राज्य में जिला पंचायतों में अनुसचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले अध्यक्षों के पदों की संख्या की संगणना उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 19–क के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार की जायेगी कि यदि शेष, भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ाया जायेगा और यदि शेष, भाजक के आधे के कम हो जो उसे छोड़ दिया जायेगा परन्तु चूँकि पिछड़े वर्गों के लिए अध्यक्ष के पदों का आरक्षण अधिकतम 27 प्रतिशत अनुमन्य है इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने की दशा में आरक्षित किये जाने वाले अध्यक्ष के पदों की संगणना में मात्र भागफल के पूर्णांक को ही संज्ञान में लिया जायेगा और शेष को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले अध्यक्षों के पदों की संख्या अवधारित हो जायेगी। उपर्युक्तानुसार अवधारित अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार स्त्रियों के लिये आरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए राज्य में अध्यक्षों के कुल पदों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे। **प्रत्येक आरक्षित वर्ग में स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले जिला पंचायत के अध्यक्षों के पदों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले अध्यक्ष के कुल पदों की संगणना करने में यदि भाज्य, भाजक से पूर्णतया विभाजित न हो और कुछ शेष बचता हो तो भागफल में 1 बढ़ जायेगा।**

उदाहरण : प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्षों के कुल 72 पदों में से अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों की प्रदेश में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत क्रमशः 0.06 तथा 21.15 के आधार पर क्रमशः 0.06 प्रतिशत पद अर्थात् शून्य पद तथा 21.15 प्रतिशत पद अर्थात् 15 पद इन जातियों के लिये और अधिकतम 27 प्रतिशत अर्थात् 19 पद पिछड़े वर्गों के लिये एवम् अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 24 पद स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे।

6.1 **प्रस्तर–3 में उल्लिखित क्रमावली के क्रम में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये जिला पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षित पदों की संख्या राज्य में भिन्न–भिन्न जिला पंचायतों को**

उनके प्रादेशिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी, अर्थात् राज्य में जिला पंचायतों में से वह जिला पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो उनको आवंटित की जायेगी और वह जिला पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, और वह जिला पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, और पंचायतों के आगामी निर्वाचन वर्ष 2010 में तथा पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जायेगी और अनुसूचित जातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जायेगी और पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतों की एक तिहाई से अन्यून जिला पंचायतें यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित की जायेगी। उपर्युक्तानुसार स्त्रियों के लिये आवंटित जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों को सम्मिलित करते हुए राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून जिला पंचायत के अध्यक्षों के पदों को स्त्रियों को आवंटित किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार कि जिन जिला पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है हो, वे उनको आवंटित की जायेगी, और पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन 2010 में तथा पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार कि जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों में स्त्रियों को आवंटित जिला पंचायतें स्त्रियों को आवंटित नहीं की जायेंगी।

उपर्युक्तानुसार ही पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचनों 2010 के आरक्षण में चक्रानुक्रम (रोटेशन) लागू किया जायेगा। **इसके फलस्वरूप पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा स्त्रियों) के लिये जो जिला पंचायतें आरक्षित की गयी थीं, उन्हें आगामी निर्वाचन में संबंधित आरक्षित वर्ग के लिये आरक्षित नहीं किया जायेगा बल्कि अवरोही क्रम में अगले स्टेज पर आने वाली जिला पंचायत से आरक्षण शुरू किया जायेगा,** परन्तु यदि किसी आरक्षित वर्ग के लिये पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में आरक्षित जिला पंचायतों और आरक्षण हेतु प्रस्तर–3 में निर्धारित क्रमावली के किसी अन्य आरक्षित वर्ग के लिये आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु पूर्व में ही आरक्षित हो चुकी जिला पंचायतों को छोड़ने के पश्चात् आरक्षण करने हेतु अपेक्षित संख्या में जिला पंचायतें शेष नहीं बचती हों तो उस दशा में पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में उस वर्ग के लिये आरक्षित जिला पंचायतों को भी

आगामी सामान्य निर्वाचन में पुनः उसी वर्ग के लिये आरक्षित किया जायेगा। विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तर 9.1 में दिये गये उदाहरण संख्या–3 में दर्शायी गयी है।

उदाहरण : प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष के आरक्षित पदों को विभिन्न जिला पंचायतों को आवंटन करने हेतु सर्वप्रथम जिला पंचायतों को, जिला पंचायत में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ग के लिये आरक्षित पदों की संख्या का प्रस्तर–3 में दी गयी क्रमावली के अनुसार उपर्युक्तानुसार व्यवस्थित जिला पंचायतों में आवंटन किया जायेगा परन्तु जहाँ तक हो सके पूर्ववर्ती निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें आगामी निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेंगी। स्त्रियों के लिये आरक्षित पदों का आवंटन करने हेतु जिला पचायत की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को घटाते हुए सामान्य जनसंख्या का जिला पंचायतवार अवरोही क्रम तैयार किया जायेगा तथा इस प्रकार तैयार किये गये अवरोही क्रम में अधिक सामान्य जनसंख्या वाली जिला पंचायतें स्त्रियों को आवंटित की जायेगी परन्तु जहाँ तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में स्त्रियों को आवंटित जिला पंचायतें आगामी निर्वाचन में स्त्रियों को आवंटित नहीं की जायेगी।

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (स्थानों) का आरक्षण

7. ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या की संगणना, संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 5 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 6–क तथा 18–क के उपबन्धों के अनुरूप, निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी और संगणना करने में यदि शेष भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ जायेगा तथा यदि शेष भाजक के आधे से कम हो तो इसे छोड़ दिया जायेगा परन्तु पिछड़े वर्गों के लिये पंचायत क्षेत्र में कुल स्थानों की संख्या के अधिकतम 27 प्रतिशत स्थानों पर आरक्षण अनुमन्य है इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने की दशा में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संगणना में भागफल के पूर्णांक को ही संज्ञान में लिया जाएगा और शेष को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा :–

$$\text{पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिय आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या} = \frac{\text{पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या} \times \text{पंचायत क्षेत्र में कुल स्थानों की संख्या}}{\text{पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या}}$$

उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये संगणित स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग की स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे।- उपर्युक्तानुसार स्त्रियों के लिये आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए पंचायत क्षेत्र के कुल स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाएगें और प्रत्येक आरक्षित वर्ग में स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले कुल स्थानों की संगणना करने में यदि भाज्य, भाजक से पूर्णतया विभाजित न हो और कुछ शेष बचता हो तो भागफल में 1 बढ़ जायेगा।

उदाहरण : किसी पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर इन जातियों/वर्गों के लिये आरक्षित स्थानों की संगणना उपर्युक्त फार्मूला से की जायेगी। परन्तु पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या पंचायत क्षेत्र में कुल स्थानों की संख्या के 27.00 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तर–9 में दिये गये उदाहरण संख्या–1 तथा उदाहरण संख्या–2 में दर्शायी गयी है।

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (स्थानों) का आवंटन

8. सर्वप्रथम पंचायत क्षेत्र के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों की जनसंख्या/परिवारों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की कुल जनसंख्या/परिवारों की संख्या में से आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों) की जनसंख्या को घटाकर सामान्य आबादी की जनसंख्या/परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। **यदि एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में आरक्षित वर्ग अथवा सामान्य आबादी की जनसंख्या/परिवारों की संख्या समान हो तो कम क्रमांक वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) को अवरोही क्रम में पहले रखा जायेगा तथा अधिक क्रमांक वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) को अवरोही क्रम में बाद में रखा जायेगा इसी प्रकार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में किसी आरक्षित वर्ग अथवा सामान्य आबादी की जनसंख्या/परिवारों की संख्या शून्य हो तो कम क्रमांक वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) को अवरोही क्रम में पहले तथा अधिक क्रमांक वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) को बाद में रखा जायेगा।**

8.1 यदि किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों की या अनुसूचित जातियों की या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के या अनुसूचित जातियों के या पिछड़े वर्गों के परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम अवधारित किया जा सकता है।

8.2 यदि किसी पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिये कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किया जा सकता है तो उपर्युक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित क्रम का अनुसरण इस तरह किया जायेगा मानों, यथास्थिति, इसमें अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों का कोई निर्देश न हो।

8.3 **इसके उपरान्त प्रस्तर–7 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये संगणित आरक्षित स्थानों की संख्या**

प्रस्तर–3 में उल्लिखित क्रमावली के क्रम में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को इन जातियों/वर्गों की जनसंख्या/परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम के आधार पर आवंटित की जायेगी यानि किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या/परिवारों की संख्या वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) उनको आवंटित किया जायेगा, अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या/परिवारों की संख्या वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) उनको आवंटित किया जायेगा और पिछड़े वर्गों की सर्वाधिक जनसंख्या/परिवारों की संख्या वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) उनको आवंटित किया जायेगा।

8.4 प्रस्तर–8.3 के अधीन स्त्रियों के लिये आवंटित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को सम्मिलित करते हुए कुल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की संख्या के एक तिहाई से अन्यून प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) स्त्रियों को आवंटित किये जायेंगे, किन्तु इस प्रकार कि जिन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में सबसे अधिक जनसंख्या/परिवारों की संख्या है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या/परिवारों की संख्या सम्मिलित नहीं है, वे स्त्रियों को आवंटित किये जायेंगे।

8.5 यदि किसी पंचायत क्षेत्र में अनूसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आधार पर, यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिये केवल एक स्थान आरक्षित किया जा सकता है तो वह स्थान यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्री का होगा।

8.6 **किसी आरक्षित वर्ग अथवा सामान्य आबादी के अवरोही क्रम में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में उस वर्ग की अथवा सामान्य आबादी की जनसंख्या/परिवारों की संख्या शून्य होने पर भी वर्ग के लिये आरक्षित स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को अवरोही क्रम में आवंटित किये जायेंगे।**

8.7 पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में तथा पश्चातवर्ती निर्वाचन में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन प्रस्तर–8 में दी गयी रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहाँ तक हो सके वह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात् पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005 में, अनुसूचित जनजातियों को आवंटित था, वह अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं किया जायेगा और जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों को आवंटित था वह अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं किया जायेगा और जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पिछड़े वर्गों को आवंटित था वह पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं किया जायेगा और जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र स्त्रियों को आवंटित था वह स्त्रियों को आवंटित नहीं किया जायेगा।

8.8 किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्णतया नया होने अथवा उसके क्षेत्र में परिवर्तन होने की स्थिति में ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के लिये उसके संघटक परिवारों की कुल संख्या में से 50 प्रतिशत परिवारों में परिवर्तन हो जाने

पर उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये स्थान का आवंटन संबंधित श्रेणी/वर्ग के अवरोही क्रम में उसकी स्थिति के अनुसार नये सिरे से किया जायेगा अर्थात ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये पूर्ववर्ती निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में किये गये आरक्षण व आवंटन को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के लिये उसके संघटक "कुल ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड)" में से 50 प्रतिशत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में परिवर्तन हो जाने एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के लिये उसके संघटक कुल "क्षेत्र पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड)" में से 50 प्रतिशत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में परिवर्तन हो जाने पर यथास्थिति संबंधित "क्षेत्र पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र" अथवा "जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र" के लिये स्थान का आवंटन संबंधित श्रेणी/वर्ग के अवरोही क्रम में उसकी स्थिति के अनुसार नये सिरे से किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार ही पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आरक्षण में चक्रानुक्रम (रोटेशन) लागू किया जायेगा। इसके फलस्वरूप पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा स्त्रियों) के लिये जिन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को आरक्षित किया गया था, उन्हें आगामी निर्वाचन में सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के लिये आरक्षित नहीं किया जायेगा बल्कि अवरोही क्रम में अगले स्टेज पर आने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) से आरक्षण शुरू किया जायेगा, परन्तु यदि किसी आरक्षित वर्ग के लिये पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) और आरक्षण हेतु प्रस्तर–3 में उल्लिखित क्रमावली के किसी अन्य आरक्षित वर्ग के लिये आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु पूर्व में ही आरक्षित हो चुकी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को छोड़ने के पश्चात् आरक्षण करने हेतु अपेक्षित संख्या में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) शेष नहीं बचते हों तो उस दशा में पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में उस वर्ग के लिये आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को भी आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में पुनः उसी वर्ग के लिये आरक्षित किया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण व आवंटन तथा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण व आवंटन की विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तर–9 में क्रमशः उदाहरण संख्या 1 तथा उदाहरण संख्या 2 में दर्शायी गयी है।

आरक्षित पदों और स्थानों के आवंटन का उदाहरण

9. ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के आरक्षित पदों और स्थानों के आवंटन के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उदाहरण निम्नवत् है :–

<u>उदाहरण – 1</u>

यदि किसी ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 2500 तथा कुल परिवारों की संख्या 495 हो और अनुसचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की

संख्या और परिवारों की संख्या क्रमशः 250 व 50, 500 व 100, तथा 875 व 169 हो तो ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर उसमें कुल स्थानों की संख्या 13 होगी।

(i) सर्वप्रथम, प्रस्तर–7 में दिये गये निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या की संगणना की जायेगी परन्तु पिछड़े वर्गों के लिये ग्राम पंचायत के कुल स्थानों की संख्या के अधिकतम् 27.00 प्रतिशत स्थान ही आरक्षित किये जायेंगे :–

$$\text{ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या} = \frac{\text{ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या} \times \text{ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या}}{\text{ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या}}$$

उपर्युक्तानुसार इस ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये क्रमशः 1, 3 तथा 3 स्थान आरक्षित किये जायेंगे। चूंकि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों के एक–तिहाई से अन्यून स्थान अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जाने हैं और उपर्युक्तानुसार स्त्रियों के लिये आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत के कुल स्थानों की संख्या के एक–तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जाने हैं इसलिए इस ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों, अनुसचित जातियों की स्त्रियों, पिछड़े वर्गों की स्त्रियों तथा स्त्रियों के लिये क्रमशः 1, 1, 1 तथा 2 स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(ii) सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा (तालिका–1)।

(iii) शासनादेश के प्रस्तर–3 में दिये गये क्रमावली के अनुसार सर्वप्रथम अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों के आवंटन की कार्यवाही की जायेगी चूंकि अनुसूचित जनजातियों के लिए तैयार अवरोही क्रम में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 पूर्ववर्ती निर्वाचनों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जा चुका है इसलिए सामान्य निर्वाचन 2010 में अवरोही क्रम में अगले प्रक्रम पर आने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 को अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए आवंटित किया जाएगा।

(iv) चूंकि अनुसूचित जातियों के लिए तैयार अवरोही क्रम में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–1 पूर्ववर्ती निर्वाचनों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं था इसलिए इसे अनुसूचित जाति की स्त्रियों के लिए आवंटित किया जायेगा इसके पश्चात् अवरोही क्रम में आने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–13, 2 तथा 10 पूर्ववर्ती निर्वाचनों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो चुके हैं, इसलिए अवरोही क्रम

के अगले प्रक्रम पर स्थित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–3 तथा 11 को अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित किया जायेगा।

(v) चूंकि पिछड़े वर्गों के लिए तैयार अवरोही क्रम में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 पूर्ववर्ती निर्वाचनों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित नहीं था इसलिए उसे पिछड़े वर्ग की स्त्रियों के लिए आवंटित किया जाएगा इसके पश्चात् अवरोही क्रम के अगले प्रक्रम पर स्थित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–11 पूर्ववर्ती निर्वाचनों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित था इसलिए अवरोही क्रम में अगले प्रक्रम पर स्थित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–2 को पिछड़ा वर्ग के लिए आवंटित किया जाएगा। उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–5 को भी पिछड़ा वर्ग के लिए आवंटित किया जाएगा।

(vi) इसके उपरान्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की, कुल परिवारों की संख्या में से अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के परिवारों की संख्या को घटाते हुए सामान्य आबादी के परिवारों की संख्या अवधारित कर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा चूंकि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 पूर्ववर्ती निर्वाचनों में स्त्रियों के लिए आरक्षित था इसलिए अवरोही क्रम में अगले प्रक्रम पर स्थित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–10 को स्त्रियों के लिए आवंटित किया जाएगा। इसके पश्चात् अवरोही क्रम में स्थित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–4 पूर्ववर्ती निर्वाचनों में स्त्रियों के लिए आरक्षित किया जा चुका है और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–3 चूंकि पूर्व में ही अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित किया जा चुका है इसलिए अवरोही क्रम में अगले प्रक्रम पर आने वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 स्त्रियों के लिए आवंटित किया जायेगा।

उदाहरण – 2

क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम में आवंटन का उदाहरण तालिका–2 में संलग्न है। प्रकल्पित उदाहरण में क्षेत्रपंचायत में 44 स्थान हैं और क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित फार्मूला से अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिये क्रमशः 8, 7 तथा 9 स्थान आरक्षित किये जायेंगे :–

$$\text{क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या} = \frac{\text{क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या}}{\text{क्षेत्र पंचायत की कुल जनसंख्या}} \times \text{क्षेत्र पंचायत में कुल स्थानों की संख्या}$$

(i) सर्वप्रथम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और सामान्य आबादी के परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा (तालिका–2 क)।

(ii) अनुसूचित जाति के परिवारों के लिये तैयार अवरोही क्रम के आधार पर आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 हेतु सामान्य निर्वाचन 2005 में आरक्षित अन्तिम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 के बाद अवरोही क्रम में आने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 29, 36 तथा 42 अनुसूचित जातियों की स्त्रियों के लिये आवंटित किये जायेगें तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3, 9, 27, 28 तथा 2 अनुसूचित जातियों के लिये आवंटित किये जायेगें।

(iii) इसके उपरान्त उपर्युक्त प्रक्रिया पर अनुसरण करते हुए उपर्युक्तानुसार ही आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 हेतु पिछड़े वर्गों के परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम में आने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 32, 13 तथा 41 पिछड़े वर्गो की स्त्रियों के लिये और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या: 19, 40, 12 तथा 25 पिछड़े वर्गों के लिये आवंटित किये जायेगें (चूंकि निर्वाचन क्षेत्र संख्या 36 तथा 42 पूर्व में ही अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जा चुके हैं इसलिए अवरोही क्रम में अगले प्रक्रम पर आने वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए आवंटित किया जायेगा।)

(iv) इसके उपरान्त सामान्य आबादी के लिये तैयार अवरोही क्रम में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 तक पूर्ववर्ती निर्वाचनों में स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जा चुके है इसलिये अवरोही क्रम के अगले प्रक्रम क्रमांक 39 पर स्थित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या को स्त्रियों के लिये आवंटित किया जायेगा। उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण कर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20, 10, 4, 33, 30, 16, 37 तथा 34 को स्त्रियों के लिये आवंटित किया जायेगा)

9.1 उपर्युक्त प्रक्रियानुसार ही जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में भी स्थानों का आरक्षण व उनका चक्रानुक्रम में आवंटन किया जायेगा।

उदाहरण – 3

विकास खण्ड में आरक्षित प्रधान पदों के आवंटन हेतु तालिका **3'क'**, **3'ख'**, **3'ग'**, **3'घ'** तथा **3'च'** संलग्न है। एक प्रकल्पित विकास खण्ड में ग्राम पंचायतों की संख्या–**33** है और वर्ष **2010** के सामान्य निर्वाचन हेतु अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़ें वर्गों व स्त्रियों के लिये निदेशक, पंचायतीराज द्वारा निर्गत चार्ट में क्रमशः **0**, **09**, **09** तथा **5** पद आरक्षित किये गये है। उक्त आरक्षित प्रधान के पदों को चक्रानुक्रम में आवंटन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(1) सर्वप्रथम विकास खण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों को हिन्दी वर्णमाला के 'अकारादि' क्रम में क्रमांकित किया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक विशिष्ट क्रमांक निर्धारित हो जायेगा।

(2) उपर्युक्तानुसार क्रमांकित ग्राम पंचायतों को उनकी कुल जनसंख्या में क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की प्रतिशत जनसंख्या का और उनकी कुल जनसंख्या में से आरक्षित श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को घटाते हुए ग्राम पंचायत की सामान्य आबादी की जनसंख्या का पृथक–पृथक अवरोही क्रम की तालिका क्रमशः **'3ख'**, **'3ग'** तथा **'3घ'** तैयार की जायेगी।

(3) तैयार की गई उक्त तालिकाओं में प्रत्येक ग्राम पंचायत की पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005 में आरक्षण की प्रास्थिति (स्टेटस) अंकित किया जायेगा।

(4) चूंकि प्रकल्पित विकास खण्ड में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रधान का कोई पद आरक्षित नहीं है इसलिए शासनादेश के प्रस्तर 3 में वर्णित क्रमावली के क्रमांक 3 पर अंकित आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति की स्त्रियों के लिए पद के आवंटन से आवंटन प्रारम्भ किया जायेगा। चूंकि अनुसूचित जाति की प्रतिशत जनसंख्या के अवरोही क्रम की तालिका '3ख' में क्रमांक 12, 4, 21, 28, 22, 30, 32, 10, 33 और 3 की ग्राम पंचायतें पूर्ववर्ती निर्वाचनों (वर्ष 1995, 2000 तथा 2005) में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी इसलिए उन्हें आगामी सामान्य निर्वाचन में अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित नहीं किया जायेगा और अवरोही क्रम के अगले प्रक्रम क्रमांक 16 पर स्थित ग्राम पंचायत को अनुसूचित जातियों की स्त्रियों के लिए आवंटित किया जायेगा। पुनः क्रमांक 7 की ग्राम पंचायत पूर्ववर्ती निर्वाचनों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी इसलिए उसे आगामी सामान्य निर्वाचन में अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित नहीं किया जायेगा। उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण कर क्रमांक 20 तथा 31 की ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जातियों की स्त्रियों के लिए और क्रमांक 27, 11, 9, 24, 15 तथा 1 की ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित किया जायेगा।

(5) इसके उपरान्त **प्रस्तर–3** की क्रमावली की अगली आरक्षित श्रेणी पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित पदों का आवंटन ग्राम पंचायतों में पिछड़े वर्गों की प्रतिशत जनसंख्या की तालिका **'3ग'** के आधार पर किया जायेगा। क्रमांक 19, 23, 13, 18, 27, 20, 16, 9 तथा 31 की ग्राम पंचायतें पूर्ववर्ती निर्वाचनों मे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित थीं। साथ ही क्रमांक 27, 20, 16, 9 तथा 31 की ग्राम पंचायतें पूर्व में ही अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित हो चुकी हैं इसलिए अवरोही क्रम की तालिका के अगले प्रक्रम क्रमांक 8 पर स्थित ग्राम पंचायत, को पिछड़े वर्ग की स्त्रियों के लिए आवंटित किया जायेगा। उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए क्रमांक 29 तथा 7 की ग्राम पंचायतों को पिछड़े वर्ग की स्त्रियों के लिए और क्रमांक 30, 28, 33, 12, 2 तथा 32 की ग्राम पंचायतों को पिछड़ा वर्ग के लिए आवंटित किया जायेगा।

(6) इसके उपरान्त प्रस्तर 3 की क्रमावली की अगली और अन्तिम आरक्षित श्रेणी स्त्रियों के लिए ग्राम पंचायतों का आवंटन ग्राम पंचायतों की कुल सामान्य आबादी के अवरोही क्रम की तालिका **'3घ'** के आधार पर किया जायेगा। क्रमांक 24, 8 तथा 15 की ग्राम पंचायतें पूर्व में ही अन्य आरक्षित श्रेणियों/वर्गों के लिए आवंटित की जा चुकी हैं और क्रमांक 25, 26, 14, तथा 6 पूर्ववर्ती निर्वाचनों मे स्त्रियों के लिए आरक्षित थीं इसलिए अवरोही क्रम के अगले प्रक्रम क्रमांक 5 पर स्थित ग्राम पंचायत, स्त्रियों के लिए आवंटित की जायेगी और उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए क्रमांक 3, 18, 21 तथा 10 की ग्राम पंचायतों को भी स्त्रियों के लिए आवंटित किया जायेगा।

(7) उपर्युक्तानुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिए ग्राम पंचायतों के आवंटन के उपरान्त विकास खण्ड की शेष बची ग्राम पंचायतें अनारक्षित रहेगी।

9.2 उदाहरण संख्या 3 में दर्शायी गयी प्रक्रिया के अनुसार ही आगामी सामान्य निर्वाचन में क्षेत्र पंचायतों के आरक्षित प्रमुख के पदों और जिला पंचायतों के आरक्षित अध्यक्ष के पदों का भी आवंटन किया जायेगा।

आवंटित पदों और स्थानों का प्रकाशन व आपत्तियों का निस्तारण

10. उपर्युक्तानुसार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में स्थानों और प्रधानों के पदों के आरक्षण का प्रस्ताव तथा ग्राम पंचायत में अनुसचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी की जनसंख्या को घटाते हुए सामान्य जनसंख्या एवम् ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और सामान्य जनसंख्या के परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम का विवरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कर जनसाधारण की सूचना हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय तथा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सूचना पट पर लगातार 3 दिवस तक प्रदर्शित किया जायेगा। **कोई व्यक्ति जिसे किसी प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति हो वह प्रस्तावों के प्रदर्शन की उक्त अवधि को सम्मिलित करते हुए प्रकाषन की तिथि से 7 दिवस के अन्दर प्रस्तावित आरक्षण के विरूद्ध आपत्ति विकासखण्ड कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिलामजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा।** आपत्ति प्राप्त करने की अवधि की समाप्ति के अगले दिन समस्त आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्र कर आगामी दो दिवस के अन्दर प्रत्येक आपत्ति का निस्तारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा :–

1.	जिलामजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव

उपर्युक्तानुसार आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त आरक्षित स्थानों और पदों के आवंटन को जिलामजिस्ट्रेट द्वारा अन्तिम रूप देते हुए आवंटित स्थानों और पदों की सूची पुनः उपर्युक्त कार्यालयों के सूचना पट पर दो दिवसों तक प्रदर्शित किया जाएगा और आवंटित पदों और स्थानों का प्रारूप 1, 2, 3 तथा 4 पर विवरण की हार्ड कॉपी की दो प्रतियां एम0एस0 एक्सेल पर सीडी सहित निदेशक, पंचायतीराज को दिनांक **27.8.2010** तक उपलब्ध कराई जाएगी और उक्त विवरण की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

समय–समय पर त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण एवं आवंटन सम्बन्धित निर्गत उपर्युक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगें। कृपया उपर्युक्तानुसार तत्काल कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(आर. के. शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1941/1/33–1–2005–71/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. स्टाफ आफीसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0 प्र0 शासन।
4. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टॉफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त जिलामजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना एवम् जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. पंचायतीराज अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
13. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

उदाहरण–1 की तालिका–1

ग्राम पंचायतों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया

ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या : 2500

कुल परिवारों की संख्या : 495

क्र.सं.	श्रेणी	जनसंख्या	परिवारों की संख्या	आरक्षित स्थान
1	अनुसूचित जनजाति	250	50	1
2	अनुसूचित जाति	500	100	3
3	पिछड़ा वर्ग	875	169	3
4	स्त्रियाँ	875	176	2
	कुल	**2500**	**495**	**9**

आरक्षित श्रेणी/वर्गों के तथा सामान्य आबादी के परिवारों की संख्या का अवरोही क्रम

अनुसूचित जनजातियाँ		अनुसूचित जातियाँ	
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या (1)	परिवारों की संख्या (2)	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या (3)	परिवारों की संख्या (4)
1	15	1	14
8	10	13	13
7	9	2	12
12	6	10	11
5	4	3	10
6	3	11	9
4	2	4	8
3	1	6	7
2	0	5	6
9	0	12	5
10	0	8	4
11	0	7	1
13	0	9	0

पिछड़ा वर्ग		सामान्य आबादी	
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	परिवारों की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	परिवारों की संख्या
1	2	3	4
13	19	9	29
11	18	10	19
2	17	4	18
8	16	3	17
12	15	7	16
5	14	6	15
6	13	5	14
7	12	12	12
4	11	11	11
3	10	2	9
9	9	8	8
10	8	13	6
1	7	1	2

पूर्ववर्ती निर्वाचनों (वर्ष 1995, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005) में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन का विवरण

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	आरक्षित श्रेणी/वर्ग
1	अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियाँ
13	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ
2	अनुसूचित जातियाँ
10	तदैव
11	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ
8	पिछड़ा वर्ग
12	तदैव
9	स्त्रियाँ
4	तदैव

सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन का विवरण

		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	आरक्षित श्रेणी/वर्ग
		8	अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियाँ
		1	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ
		3	अनुसूचित जातियाँ
		11	तदैव
		13	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ
		2	पिछड़ा वर्ग
		5	तदैव
		10	स्त्रियाँ
		7	तदैव

उदाहरण–2 तालिका–2

क्षेत्र पंचायत में स्थानों के आरक्षण व चक्रानुक्रम में आवंटन की प्रक्रिया

क्षेत्र पंचायत की कुल जनसंख्या 88560
कुल परिवारों की संख्या 17712
कुल स्थानों की संख्या 44

श्रेणी	जनसंख्या	परिवारों की संख्या	आरक्षित स्थान
अनुसूचित जनजातियाँ	0	0	0
अनुसूचित जातियाँ	16315	3263	8
पिछड़ा वर्ग	14960	2992	7
सामान्य आबादी	57285	11457	(स्त्रियाँ) 9
कुल		17712	24

तालिका–2 (क)

आरक्षित श्रेणी/वर्गों के तथा सामान्य आबादी के परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम का विवरण

अनुसूचित जातियाँ		पिछड़ा वर्ग		सामान्य आबादी	
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	परिवारों की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	परिवारों की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	परिवारों की संख्या
38	210	5	187	44	371
34	208	29	130	41	322
35	206	4	127	19	311
37	204	22	125	6	310
18	130	28	120	24	306
16	120	3	115	11	305
31	114	27	110	7	303
30	110	1	105	14	301
15	108	17	104	23	299
32	106	26	102	36	295
33	104	43	100	42	291
39	102	10	95	1	290
40	100	2	93	12	288
25	90	9	91	17	285
21	85	30	90	43	281
20	83	8	88	8	279
23	81	16	85	15	277
14	75	7	80	21	276

13	72	6	70	13	274
12	70	33	68	2	270
5	60	20	65	22	268
24	58	32	63	25	266
10	56	36	62	9	265
11	55	42	60	26	263
29	53	13	55	39	261
36	50	41	54	18	260
42	48	19	50	20	255
3	47	40	48	40	251
9	46	12	45	10	250
27	45	25	43	31	248
28	44	11	42	3	247
2	42	21	41	27	246
8	40	31	40	4	245
19	38	39	38	32	240
26	36	24	35	28	236
4	35	14	30	33	231
7	25	15	25	29	216
41	23	23	23	30	200
6	20	35	21	18	196
43	18	34	20	37	186
17	15	37	15	34	183
44	13	44	13	38	181
1	10	18	10	35	176
22	8	38	9	5	153
	3263		2992		11457

आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन का विवरण

सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995		सामान्य निर्वाचन वर्ष 2000		सामान्य निर्वाचन वर्ष 2005		सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010	
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	आरक्षित श्रेणी / वर्ग का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	आरक्षित श्रेणी / वर्ग का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	आरक्षित श्रेणी / वर्ग का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	आरक्षित श्रेणी / वर्ग का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	15	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	23	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	29	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ
34	तदैव	32	तदैव	14	तदैव	36	तदैव
35	तदैव	33	तदैव	13	तदैव	42	तदैव
37	अनुसूचित जातियाँ	39	अनुसूचित जातियाँ	12	अनुसूचित जातियाँ	3	अनुसूचित जातियाँ
18	तदैव	40	तदैव	5	तदैव	9	तदैव
16	तदैव	25	तदैव	24	तदैव	27	तदैव

31	तदैव	21	तदैव	10	तदैव	28	तदैव
30	तदैव	20	तदैव	11	तदैव	2	तदैव
5	पिछड़े वर्ग की स्त्रियां	1	पिछड़े वर्ग की स्त्रियां	30	पिछड़े वर्ग की स्त्रियां	32	पिछड़े वर्ग की स्त्रियां
29	तदैव	17	तदैव	8	तदैव	13	तदैव
4	तदैव	26	तदैव	16	तदैव	41	तदैव
22	पिछड़ा वर्ग	43	पिछड़ा वर्ग	7	पिछड़ा वर्ग	19	पिछड़ा वर्ग
28	तदैव	10	तदैव	6	तदैव	40	तदैव
3	तदैव	2	तदैव	33	तदैव	12	तदैव
27	तदैव	9	तदैव	20	तदैव	25	तदैव
44	स्त्रियाँ	36	स्त्रियाँ	01	स्त्रियाँ	39	स्त्रियाँ
41	तदैव	42	तदैव	17	तदैव	18	तदैव
19	तदैव	12	तदैव	43	तदैव	20	तदैव
8	तदैव	8	तदैव	15	तदैव	10	तदैव
24	तदैव	13	तदैव	21	तदैव	31	तदैव
11	तदैव	22	तदैव	02	तदैव	4	तदैव
7	तदैव	18	तदैव	25	तदैव	33	तदैव
14	तदैव	31	तदैव	09	तदैव	30	तदैव
23	तदैव	3	तदैव	26	तदैव	16	तदैव

उदाहरण 3 की तालिका

दसवें सामान्य निर्वाचन हेतु आरक्षित प्रधान पदों का चक्रानुक्रम में आवंटन का उदाहरण

विकास खण्ड में ग्राम पंचायतों की संख्या [illegible]

क्र0सं0	च निर्वाचन 2010	आरक्षित पदों की संख्या
1	अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों	[illegible]
2	अनुसूचित जनजातियों	[illegible]
3	अनुसूचित जातियों की स्त्रियॉ	5
4	अनुसूचित जातियों	[illegible]
5	पिछड़े वर्ग की स्त्रियॉ	[illegible]
6	पिछड़ा वर्ग	[illegible]
7	स्त्रियॉ	[illegible]

तालिका –3 क

विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों का 'अकारादि' कम में क्रमॉक का विवरण

ग्राम पंचयत का क्रमॉक	ग्राम पंचायत का नाम
1	अनौराकला
2	अल्लूनगर डिगुरिया
3	उत्तरधौना
4	खरगपुर जागीर
5	गनेशपुर रहमानपुर
6	घैला
7	चंवियामऊ
8	जुग्गौर
9	तिवारीपुर
10	दुगवर
11	देवरिया
12	धतिगरा
13	धावा
14	निजामपुर मल्हौर
15	नौबस्ताकला
16	नरहरपुर
17	पपनामऊ
18	पूरबगांव
19	पल्हरी
20	बाघामऊ
21	बौरूमऊ
22	भिठौलीखुर्द
23	भरवारा
24	मखदूमपुर
25	मलेसेमऊ
26	मुतक्कीपुर
27	मेहौरा
28	रैथा
29	लौलाई
30	लक्ष्मीपुर भौली
31	सरौरा
32	सेमरा
33	सरायशेख

तालिका –3 ख

अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित प्रधान के पदों का आवंटन

ग्राम पंचायत का कोड	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या		ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत	पूर्ववर्ती निर्वाचनों में आरक्षण की प्रास्थिति (स्टेटस)			आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में आरक्षण
		कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या		1995	2000	2005	
12	धतिंगरा	2767	1487	53.74	अनु0 जातियों की स्त्रियाँ	अनु0 जातियों की स्त्रियाँ	अनु0 जातियाँ	-
4	खरगपुर जागीर	1610	786	48.82	अनु0 जातियों की स्त्रियाँ	अनु0 जातियाँ	अनारक्षित	-
21	बौरूमऊ	2264	1008	44.52	अनु0 जातियाँ	अनु0 जातियाँ	अनारक्षित	-
28	रैथा	2566	1095	42.67	अनु0 जातियाँ	अनारक्षित	अनारक्षित	-
22	मिठौलीखुर्द	2427	1030	42.44	अनु0 जातियों की स्त्रियाँ	अनु0 जातियों की स्त्रियाँ	अनारक्षित	-
30	लक्ष्मीपुर भौली	1725	676	39.19	अनारक्षित	अनारक्षित	अनु0 जातियों की स्त्रियाँ	-
32	सेमरा	2122	812	38.27	अनु0 जातियाँ	अनु0 जातियाँ	अनारक्षित	-
10	दुगवर	1460	555	38.01	अनु0 जातियाँ	अनु0 जातियों की स्त्रियाँ	अनारक्षित	-
33	सरायशेख	2187	787	35.99	अनारक्षित	अनारक्षित	अनु0 जातियों की स्त्रियाँ	-
3	उत्तरौना	3309	1148	34.69	अनु0 जातियाँ	अनु0 जातियाँ	अनारक्षित	-
16	नरहरपुर	1512	522	34.52	अनारक्षित	अनारक्षित	पिछड़े वर्ग की स्त्रिया	अनु0 जातियों की स्त्रियाँ
7	चंदियामऊ	2240	768	34.29	अनारक्षित	अनारक्षित	अनु0 जातियों की स्त्रियाँ	-
20	बाघामऊ	1296	443	34.18	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रिया	पिछड़ा वर्ग	अनु0 जातियों की स्त्रियाँ
31	सरौरा	2460	824	33.50	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रिया	अनु0 जातियों की स्त्रियाँ

ग्राम पंचायत का क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या		ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत	पूर्ववर्ती निर्वाचनों में आरक्षण की प्रास्थिति (स्ट्रेटस)			आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में आरक्षण
		कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या		1995	2000	2005	
6	घैला	2594	829	31.96	स्त्रियाँ	अनारक्षित	अनु0 जातियाँ	-
27	नेहौरा	1575	465	29.52	स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रिया	अनु0 जातियाँ
2	अल्लूनगर डिगुरिया	3428	996	29.05	स्त्रियाँ	स्त्रियाँ	अनु0 जातियाँ	-
11	देवरिया	2506	651	25.98	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियाँ	अनु0 जातियाँ
17	पपनामऊ	1865	480	25.74	स्त्रियाँ	अनारक्षित	अनु0 जातियाँ	-
9	तिवारीपुर	2195	561	25.56	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रिया	अनु0 जातियाँ
26	मुतक्कीपुर	1781	380	21.34	स्त्रियाँ	स्त्रियाँ	अनु0 जातियाँ	-
5	मनेशपुर रहमानपुर	3190	623	19.53	अनारक्षित	अनारक्षित	अनु0 जातियाँ	-
24	मखदूमपुर	4791	930	19.41	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रिया	अनारक्षित	अनु0 जातियाँ
15	नौबस्ताकला	3343	638	19.08	अनारक्षित	अनारक्षित	स्त्रियाँ	अनु0 जातियाँ
1	अनीशकला	3227	585	18.13	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनु0 जातियाँ
18	पूरबगांव	2371	408	17.21	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रिया	-
14	निजामपुर मल्हौर	3351	550	16.41	अनारक्षित	अनारक्षित	स्त्रियाँ	-
8	जुग्गौर	8802	1309	14.87	अनारक्षित	स्त्रियाँ	अनारक्षित	-
19	पल्हरी	2092	304	14.53	पिछड़े वर्ग की स्त्रिया	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रिया	-
29	लौलाई	2221	321	14.45	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	-
13	धावा	1619	233	14.39	पिछड़े वर्ग की स्त्रिया	पिछड़े वर्ग की स्त्रिया	पिछड़ा वर्ग	-
23	भरवारा	1938	183	9.44	पिछड़े वर्ग की स्त्रिया	पिछड़े वर्ग की स्त्रिया	पिछड़ा वर्ग	-
25	मलेसेमऊ	2549	235	9.22	स्त्रियाँ	स्त्रियाँ	अनारक्षित	-

तालिका – 3 ग

पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित प्रधान के पदों का आवंटन

ग्राम पंचायत का क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या		ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत	पूर्ववर्ती निर्वाचनों में आरक्षण की प्रास्थिति (स्टेटस)			आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में आरक्षण
		कुल जनसंख्या	पिछड़े वर्ग की जनसंख्या		1995	2000	2005	
19	पल्हरी	2092	1696	81.07	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	-
23	भरवारा	1938	1387	71.57	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग	-
13	धावा	1619	1146	70.78	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग	-
27	मेहौरा	1575	1110	70.48	स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	-
20	बाधामऊ	1296	853	65.82	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग	-
16	नरहरपुर	1512	990	65.48	अनारक्षित	अनारक्षित	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	-
9	तिवारीपुर	2195	1436	65.42	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	-
31	सरौरा	2460	1547	62.89	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	-
18	पूरबगांव	2371	1491	62.88	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	-
8	जुग्गौर	8802	5460	62.03	अनारक्षित	स्त्रियाँ	अनारक्षित	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ
29	लौलाई	2221	1376	61.95	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ
11	देवरिया	2506	1491	59.50	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियाँ	-
1	अनौराकला	3227	1893	58.66	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	-
7	चंदियामऊ	2240	1213	54.15	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ
30	लक्ष्मीपुर भौली	1725	924	53.57	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग
28	रैथा	2566	1319	51.40	अनुसूचित जातियाँ	अनारक्षित	अनारक्षित	पिछड़ा वर्ग
33	सरायशेख	2187	1069	48.88	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग
12	धतिगरा	2767	1280	46.26	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियाँ	पिछड़ा वर्ग

ग्राम पंचायत कर्मांक	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या		ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत	पूर्ववर्ती निर्वाचनों में आरक्षण की प्रास्थिति (स्टेटस)			आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में आरक्षण
		कुल जनसंख्या	पिछड़े वर्ग की जनसंख्या		1995	2000	2005	
2	अल्लूनगर ठिगुरिया	3428	1575	45.95	स्त्रियाँ	स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियाँ	पिछड़ा वर्ग
32	सेमरा	2122	965	45.48	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जातियाँ	अनारक्षित	पिछड़ा वर्ग
5	गनेशपुर रहमानपुर	3190	1444	45.27	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जातियाँ	-
14	निजामपुर मल्हौर	3351	1466	43.75	अनारक्षित	अनारक्षित	स्त्रियाँ	-
22	भिठौलीखुर्द	2427	1047	43.14	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनारक्षित	-
17	पपनामऊ	1865	787	42.20	स्त्रियाँ	अनारक्षित	अनुसूचित जातियाँ	-
15	नौबस्ताकला	3343	1407	42.09	अनारक्षित	अनारक्षित	स्त्रियाँ	-
21	बौरूमऊ	2264	804	35.51	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जातियाँ	अनारक्षित	-
3	उत्तरधौना	3309	1158	35.00	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जातियाँ	अनारक्षित	-
10	दुगवर	1460	492	33.70	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनारक्षित	-
24	मखदूमपुर	4791	1590	33.19	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	अनारक्षित	-
4	खरगपुर जागीर	1610	464	28.82	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियाँ	अनारक्षित	-
6	धैला	2594	613	23.63	स्त्रियाँ	अनारक्षित	अनुसूचित जातियाँ	-
25	मलेसेमऊ	2549	403	15.81	स्त्रियाँ	स्त्रियाँ	अनारक्षित	-
26	मुतवकीपुर	1781	94	5.28	स्त्रियाँ	स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियाँ	-

तालिका –3 घ

स्त्रियों के लिये आरक्षित प्रधान के पदों का आवंटन

ग्राम पंचयत का क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या		पूर्ववर्ती निर्वाचनों में आरक्षण की प्रास्थिति (स्टेटस)			आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में आरक्षण
		कुल जनसंख्या	सामान्य आबादी की जनसंख्या	1995	2000	2005	
24	मखदूमपुर	4791	2271	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	अनारक्षित	-
8	जुग्गौर	8802	2033	अनारक्षित	स्त्रियाँ	अनारक्षित	-
25	भलेसेमऊ	2549	1911	स्त्रियाँ	स्त्रियाँ	अनारक्षित	अनारक्षित
26	मुतक्कीपुर	1781	1307	स्त्रियाँ	स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियाँ	अनारक्षित
14	निजामपुर मल्हौर	3351	1299	अनारक्षित	अनारक्षित	स्त्रियाँ	अनारक्षित
15	नौबस्ताकला	3343	1298	अनारक्षित	अनारक्षित	स्त्रियाँ	-
6	धौला	2594	1152	स्त्रियाँ	अनारक्षित	अनुसूचित जातियाँ	अनारक्षित
5	गनेशपुर रहमानपुर	3190	1123	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जातियाँ	स्त्रियाँ
3	उत्तरधौना	3309	1003	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जातियाँ	अनारक्षित	स्त्रियाँ
2	अल्लूनगर डिगुरिया	3428	857	स्त्रियाँ	स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियाँ	-
1	अनौराकला	3227	749	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	-
17	पपनामऊ	1865	598	स्त्रियाँ	अनारक्षित	अनुसूचित जातियाँ	अनारक्षित
29	लौलाई	2221	524	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	-
18	पूरबगांव	2371	472	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	स्त्रियाँ
21	बौरूमऊ	2264	452	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जातियाँ	अनारक्षित	स्त्रियाँ
10	दुगवर	1460	413	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनारक्षित	स्त्रियाँ
23	भरवारा	1938	368	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
11	देवरिया	2506	364	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियाँ	-
4	खरगपुर जागीर	1610	360	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियाँ	अनारक्षित	अनारक्षित
22	भिठौलीखुर्द	2427	350	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनारक्षित	अनारक्षित

ग्राम पंचायत का क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या		पूर्ववर्ती निर्वाचनों में आरक्षण की प्रास्थिति (स्टेटस)			आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 में आरक्षण
		कुल जनसंख्या	सामान्य आबादी की जनसंख्या	1995	2000	2005	
32	सेमरा	2122	345	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जातियाँ	अनारक्षित	
33	सरायशेख	2187	331	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति की स्त्रियाँ	
7	चंदियामऊ	2240	259	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	
13	धावा	1619	240	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
9	तिवारीपुर	2195	198	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	
28	रैथा	2566	152	अनुसूचित जातियाँ	अनारक्षित	अनारक्षित	
30	लक्ष्मीपुर भौली	1725	125	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	
19	पल्हरी	2092	92	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	अनारक्षित
31	सरौरा	2460	89	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	
12	घतिगरा	2767	0	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियाँ	
16	नरहरपुर	1512	0	अनारक्षित	अनारक्षित	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	
20	बाघामऊ	1296	0	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग	
27	मेहौरा	1575	0	स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	

तालिका– च

अनारक्षित प्रधान के पदों (ग्राम पंचायतों) की सूची

ग्राम पंचयत का क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम
25	मलेसेमऊ
26	भुतक्कीपुर
14	निजामपुर मल्हौर
6	घैला
17	पपनामऊ
23	भरवारा
4	खरगपुर जागीर
22	मिठौलीखुर्द
13	धावा
19	पल्हरी

रूप–पत्र : 1

ग्राम पंचायत के प्रधान पदों के आरक्षण का आवंटन

जनपद :..... विकासखण्ड :.....

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	प्रधान पदों के आवंटन का विवरण							
		अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जातियां	पिछड़े वर्ग की स्त्रियां	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियों	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ह0/
जिलामजिस्ट्रेट

रूप–पत्र : 2

ग्राम पंचायत के स्थानों (सदस्यों) के आरक्षण का आवंटन

जनपद :..... विकासखण्ड :.....

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विवरण		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	स्थानों के आवंटन का विवरण							
			क्रमांक	नाम	मकान नम्बर ..... स्थान ..... से मकान नम्बर ..... स्थान ..... तक	अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जातियां	पिछड़े वर्ग की स्त्रियां	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियों	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ह0/
जिलामजिस्ट्रेट

E:\Election 2010\Election 10 GO (1) final, 14-06-10.doc

रूप–पत्र : 3

क्षेत्र पंचायत के स्थानों (सदस्यों) के आरक्षण का आवंटन

जनपद :..... क्षेत्र पंचायत :.....

क्र. सं.	क्षेत्र पंचायत में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विवरण		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	स्थानों के आवंटन का विवरण							
		क्रमांक	नाम	ग्राम पं० ..... के वार्ड सं० ..... से ग्राम पं० ..... के वार्ड सं० ..... तक	अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियाँ	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियां	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियाँ	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ह0/
जिलामजिस्ट्रेट

रूप–पत्र : 4

जिला पंचायत के स्थानों (सदस्यों) के आरक्षण का आवंटन

जिला पंचायत :.....

क्र. सं.	जिला पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र पंचायतों के नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विवरण		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	स्थानों के आवंटन का विवरण							
		क्रमांक	नाम	क्षेत्र पंचायत ..... की ग्राम पंचायत ..... के वार्ड सं० ..... से क्षेत्र पंचायत ..... की ग्राम पंचायत ..... के वार्ड सं० ..... तक	अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियाँ	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियों की स्त्रियाँ	अनुसूचित जातियां	पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियाँ	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ह0/
जिलामजिस्ट्रेट